

--	--	--	--

M.P. H.J.S. (L.C.E.) – 2017**2nd QUESTION PAPER****द्वितीय प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12
No. of Printed Pages : 12

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answers to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. This Question Paper consists of two parts, Part-A (Question No. 1 to 3) & Part-B (Question No. 4 to 6) & the candidates are required to write answer of questions of Part-A in Answer Book provided for Part-A only & Answers of Questions of Part-B in Answer Book provided for Part-B only. Both Answer Books are being provided simultaneously.

इस प्रश्न पत्र में दो भाग हैं, भाग-ए (प्रश्न क्र. 1 से 3) और भाग-बी (प्रश्न क्र. 4 से 6) तथा अभ्यर्थियों को भाग-ए के प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही केवल लिखें तथा भाग-बी के प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही केवल लिखें। दोनों उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ प्रदान की जा रही हैं।

3. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Any attempt to disclose identity, in any other part thereof, shall disqualify the candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी प्रकार से किसी अन्य भाग पर कोई भी पहचान चिन्ह या नाम दर्ज करने पर उम्मीदवारी निरहित हो जावेगी।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

PART – A**भाग-ए****RULES AND ORDERS (CIVIL & CRIMINAL)****नियम एवं आदेश (व्यवहार एवं आपराधिक)**

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
1(a)	<p>Under Rule 315 Rules and Orders (Criminal) what is the procedure when the sentence is reversed or modified while the accused is in confinement ?</p> <p>नियम 315 नियम एवं आदेश (आपराधिक) के अंतर्गत दंडादेश के उलट दिये जाने अथवा संशोधित कर दिये जाने पर क्या प्रक्रिया है जबकि अपीलार्थी कारागार में है ?</p>	4
1(b)	<p>What is the procedure laid down for the examination of a witness who is residing outside India ? Explain, by making reference of related rules.</p> <p>भारत के बाहर निवास करने वाले साक्षी के परीक्षण के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ? संबंधित नियमों को निर्दिष्ट करते हुए वर्णन करें।</p>	4
1(c)	<p>What is the procedure of disposal of property consist of gold & silver when criminal case is disposed off; and abovesaid property is deposited in malkhana and no owner is appearing to claim such property?</p> <p>आपराधिक मामले, जिनका कि निराकरण हो चुका है और सोने चांदी की बहुमूल्य संपत्ति नजारेत के मालखाना में जमा है और जिसका कोई स्वामी उपस्थित नहीं हो रहा हो, ऐसी संपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया बतायें ?</p>	4
1(d)	<p>What are the discretionary powers of court to grant or refuse adjournment and how this discretion must be exercised as per Rule 121 and 133 of M.P. Civil Courts Rules, 1961?</p> <p>म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के नियम 121 से 133 के मध्य न्यायालय के स्थगन देने एवं स्थगन देने से इंकार करने की विवेकाधिकार शक्तियां क्या हैं और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिये ?</p>	4
1(e)	<p>What is the procedure for arrest or attachment before judgement explain with the help of related rules ?</p> <p>निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी अथवा कुर्की के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए? संबंधित नियमों की मदद से वर्णन कीजिये।</p>	4

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES**प्रचलित अग्रनिर्णयों का ज्ञान**Q.No.
/ प्र.क्र.**Question / प्रश्न****Marks
/ अंक**

2. Briefly state the principles of law laid down in the following cases and also point out divergence, if any, from the view as taken in the earlier decisions on the subject. Out of given two options you may choose one -

निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये और संबंधित विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयों में लिये गये विचार से विचलन, यदि कोई हो, तो इंगित कीजिये दिये गये दो विकल्पों में से आप एक चुन सकते हैं—

(i)	Ramakant Mishra alias Lalu and Others Vs. State of Uttar Pradesh (2015) 8 SCC 299	OR	V.K. Mishra & another v. State of Uttarakhand and another 2015 AIR SCW 4443	5
(ii)	Sameer Singh and another Vs. Abdul Rab and others (2015) 1 SCC 379	OR	P.V. Guru Raj Reddy represented by GPA Laxmi Narayan Reddy and another v. P. Neeradha Reddy and others 2016 (1) MPLJ 585 (SC)	5
(iii)	L.C. Hanumanthappa (since dead) represented by L.Rs. v. H.B. Shivakumar AIR 2015 SC 3364	OR	Parag Bhati (Juvenile) through Legal Guardian-Mother Smt. Rajni Bhati v. State of Uttar Pradesh and another 2016 (2) Crimes 268 (SC)	5
(iv)	Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey and another 2014 (5) MPHT 208 (SC)	OR	Youth Bar Association of India v. Union of India and others 2016 (4) Crimes 1 (SC)	5

Q.No.
/ प्र.क्र.**Question / प्रश्न****Marks
/ अंक**

3. **Summaries (in 150 to 200 words) the facts contained in the following passage –**

10

A poor youth was standing in dock of a Court situated in Chindwara. He came from 85 km far place named Patalkot. The case against him is that his goat ate the grass of other land as a consequence fight took place between landowner and this

youth, where youth had taken law into his hand and broke little finger of landowner. The case has been registered against him for causing grievous hurt under section 325 of the Indian Penal Code and therefore he was in dock. The helpless condition of poor youth can be seen clearly.

who doesn't know about patalkot remember that it is the only place in nation which is situated 1500 feet below sea level and the sunrays exist for 3 hours in a day. One can imagine the country which is full of sunrays has a place where sunrays is rare. Even trees struggle to get sunrays and grows 70-90 feet long so that get maximum sunrays. The poor grass has no option to grow and therefore goat or other animals always search greenery to feed them. Therefore there always exist a struggle among animal keepers.

As this poor youth have no lawyer to defend himself, Judge provided him free legal aid. He ordered his staff to provide lawyer to youth so that he can hear both the parties before delivering judgment. So that justice is to be done with this youth. As this incident is petty one, judge want to dispose off early. He immediately gave him early date. Youth asked court to extend date. Judge ask the reason then youth told that he has to come from long distant Patalkot. As judge doesn't know the geographical situation of Patalkot, he asked- "so what? There are many bus services by which you can reach here in 1 hour". Youth replied, "judge sahaab I don't have money". I have come here by travelling 85 km; I left 1 day before at 3 pm noon. After taking rest at 3 places I reached at your court at 10 am. I came with 3 times food which is finished. Now I will start walking and will reach tomorrow that too without food because the food with which I came is finished and I don't have money to purchase food. Thus, I required some time so that I will start journey for next date.

The judge shocked after hearing his story. He realized that if he imposed fine on him then also he would not pay it. As per probation of offender Act there is a legal provision where the accused can be released either on admonition or personal bond that he will not repeat such wrong conduct for next three years. In both the cases he can release accused immediately. The judge opted for the second option where after the expiry of bond period accused by itself will be released from bond conditions. By this way Judge released him from hardship of coming again.

But he doesn't stopped here. He was worrying for that poor young man. From outside judge was looking very calm but from inside his heart was melted after hearing story of youth.

Thereafter he took out his purse, gave money and instructed policeman who brought him to take this youth for lunch in court canteen, arrange his bus ticket and make sure he must sit in bus. Judge didn't give him money because he thought that he and his family was very hungry and if he give him money he will not eat and again travel by walk so that he can bring some food for his family.

निम्नलिखित गद्यांश में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में (150 से 200 शब्दों में) लिखिये -

मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा स्थित एक न्यायालय में एक गरीब युवक आरोपी के कठघरे में खड़ा था। वह वहां से 85 किलोमीटर दूर स्थित पातालकोट से आया था। उसके खिलाफ मामला यह था कि उसकी बकरी किसी दूसरे की जमीन पर जाकर चर आई थी और उसके और जमीन मालिक के बीच झगड़े के दौरान युवक ने कानून हाथ में लेकर भूस्वामी की पिटाई कर उसकी छोटी अंगुली तोड़ दी। उस पर आई.पी.सी. की धारा 325 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा कायम हुआ और इसीलिए वह वहां मौजूद था। गरीब युवक की असहाय स्थिति साफ दिखाई दे रही थी।

जो पातालकोट के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह देश की एकमात्र ऐसी जगह है जो समुद्र सतह से 1500 फीट नीचे स्थित है और वहां सूर्य की रोशनी दिन में सिर्फ तीन घंटे रहती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भरपूर धूप वाले इस देश में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां धूप दुर्लभ है। यहां तो पेड़ भी सूरज की रोशनी के लिए आपस में संघर्ष करते हैं और 70 से 90 फीट ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ताकि अधिकतम रोशनी मिल सके। बेचारी घास को यहां बचे रहने के ज्यादा अवसर नहीं है और इसीलिए बकरी व अन्य जानवर लगातार खाने के लिए हरियाली खोजते रहते हैं। इसीलिए पशुपालकों के सामने हमेशा ही संघर्ष की स्थिति रहती है।

चूंकि इस गरीब युवा के पास अपना बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं था तो जज ने निःशुल्क विधिक सहायता की पेशकश की और मामले को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया। उन्होंने अपने स्टाफ को युवक के लिए वकील उपलब्ध कराने का आदेश दिया ताकि मामले पर फैसला देने के पहले वे दोनों पक्षों की व्यवस्थित सुनवाई कर सके। इस युवक के साथ भी न्याय हो सके। चूंकि यह मामूली घटना थी तो जज इसे जल्दी निपटाना चाहते थे। उन्होंने तत्काल बाद की तारीख दे दी। तारीख सुनकर आरोपी युवक ने जज से अनुरोध किया कि उसे कुछ अंतराल के बाद तारीख दी जाएं। जब न्यायाधीश महोदय ने कारण पूछा तो गरीब युवक ने बताया कि उसे इतनी दूर पातालकोट से आना पड़ता है। चूंकि जज पातालकोट की भौगोलिक परिस्थितियां नहीं जानते थे तो उन्होंने पूछा, "तो क्या हुआ ? कई बस सेवाएं हैं और तुम एक घंटे में यहां पहुंच जाओगे।" उसने कहा, "जज साहब, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पूरे 85 किलोमीटर चलकर आया हूं और कल दोपहर बाद 3 बजे रवाना हुआ था। तीन जगह रुकने के बाद मैं आज सुबह 10 बजे आपकी अदालत में पहुंच सका हूं। मैं तीन वक्त का भोजन साथ

लाया था, जो खत्म हो गया है। अब मैं चलना शुरू करूंगा और कल पहुंच पाऊंगा और वह भी बिना किसी भोजन के, क्योंकि साथ लाया सारा भोजन तो खत्म हो चुका है और खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अतः मुझे कुछ आराम की जरूरत होगी ताकि मैं अगली सुनवाई की यात्रा शुरू कर सकूं।

उसकी दास्तां सुनकर जज महोदय तो स्तब्ध रह गए। उन्हें अहसास हुआ कि यदि उन्होंने उसपर जुर्माना लगाया भी तो यह चुका नहीं सकेगा। चूंकि प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट में न्यायिक विवेक का प्रावधान है कि या तो चेतावनी देकर आरोपी को क्षमा कर दे अथवा बॉन्ड लिखवा ले कि वह अगले तीन साल तक ऐसी कोई हरकत फिर नहीं करेगा। दोनों ही मामले में वह आरोपी को तत्काल रिहा कर सकते हैं। जज महोदय ने दूसरा विकल्प चुना, जिसके तहत बॉन्ड की अवधि गुजरने के बाद आरोपी बॉन्ड के नियमों के बंधनों से अपने-आप मुक्त हो जाता है। इस तरह न्यायाधीश ने उसे फिर आने की झंझट से ही मुक्त कर दिया। लेकिन वे यहीं तक नहीं रुके। उन्हें उस गरीब युवक की चिंता हो रही थी। बाहर से वे तटस्थ जज दिखाई दे रहे थे लेकिन, भीतर से उनका हृदय युवक की व्यथा-कथा से द्रवित हो गया था।

फिर उन्होंने अपना पर्स निकाला और साथ आए पुलिसकर्मी को पैसे देकर कहा कि वह उसे कोर्ट के केन्टीन में ले जाकर भोजन कराए, उसे जाने के लिए बस का टिकट दिलवाए और यह पक्का करे कि वह बस में सवार हो जाए। जज ने उसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वह तथा उसका परिवार इतना भूखा था कि उन्हें लगा कि पैसे देने पर यह बिना खाए-पीए फिर पैदल जाएगा ताकि उस पैसे से परिवार के लिए खाने को कुछ ला सके।

PART – B भाग-बी

Q.4

SETTLEMENT OF ISSUES

Settle the issues on the basis of the pleadings given here-under

10

Pleadings of the plaintiff :-

Chhogalal was the owner of the disputed house and the plaintiff purchased it from Chhogalal on 20-05-1955. On 19-08-1963 he executed registered document in favour of the defendant and received an amount of Rs. 13,000/- on the basis of the sale document. The possession was also delivered to the defendant. Plaintiff's averment was that he was in need of money and took a loan of Rs. 13,000/- and in lieu thereof executed registered mortgage deed dated 19-08-1963 and thereby effected a mortgage by conditional sale in favour of the defendant. It was agreed between the parties that any amount required for repairs to the disputed house or for payment of taxes shall also be payable by the mortgagor at the time of redemption. Plaintiff orally requested the defendant to re-convey the property but the

defendant did not pay any heed, therefore, the plaintiff served a registered notice expressing his willingness to repay back the mortgage amount of Rs. 13,000/- and to have re-conveyance in his favour after which plaintiff filed the suit .

Pleadings of the defendants :-

Defendant's case is that it was not a mortgage. It was a sale with an agreement to resale the property if the plaintiff pays back the amount of Rs. 13,000/- within a period of six years and since the plaintiff did not do so, that condition did not have any force to get back the property. Defendant received a notice on 18-08-1969 which was replied by a telegram on the same day asking the plaintiff to pay the amount and since the amount of Rs. 250/- per year was spent on annual repairs and since a Tax of Rs 25/- per year was paid, the plaintiff is bound to pay the amount to the defendant, which is recoverable. Hence defendant prays for the dismissal of the suit.

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना कीजिये –

वादी के अभिवचन :-

विवादित मकान का स्वामी छोगालाल था और वादी ने विवादित मकान छोगालाल से दिनांक 20.05.1955 को कय किया था। दिनांक 19.08.1963 को उसने प्रतिवादी के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज निष्पादित किया और उस विक्रय दस्तावेज पर 13,000 रुपये प्राप्त किया। प्रतिवादी को विवादित मकान का कब्जा सौंप दिया गया। वादी का अभिवचन है कि उसे धन की आवश्यकता थी और उसने 13,000 रुपये ऋण लिया था, जिसके ऐवज में रजिस्ट्रीकृत बंधक विलेख दिनांक 19.08.1963 को निष्पादित किया और प्रतिवादी के पक्ष में सशर्त बंधक सम्पन्न किया गया। पक्षकारों के मध्य यह करार हुआ था कि विवादित मकान की मरम्मत के लिए अथवा करों के संदाय के लिए आवश्यक रकम भी मोचन के समय बंधककर्ता द्वारा संदेय होगी। वादी द्वारा पूर्व से मौखिक रूप से सम्पत्ति के प्रतिहस्तांतरण के लिए याचना की गई, किंतु प्रतिवादी द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर वादी ने 13,000 रुपये के प्रतिसंदाय के लिए रजामंदी अभिव्यक्त करते हुए अपने पक्ष में प्रतिहस्तांतरण के लिए पंजीकृत सूचना पत्र की तामील करायी, किंतु प्रतिवादी द्वारा संविदा के अपने भाग का पालन नहीं किया गया, जिसके पश्चात् वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

प्रतिवादी ने यह संकथन किया कि वह बंधक नहीं था। यदि वादी 13,000रुपये की राशि 06 वर्ष की कालावधि के अंदर वापस कर देता है तब सम्पत्ति के पुनर्विक्रय के करार के साथ पूर्ण विक्रय था और क्योंकि वादी ने वैसा नहीं किया, इसलिए सम्पत्ति वापस करने के लिए इस तथ्य में कोई बल नहीं रहा था। प्रतिवादी को दिनांक 18.08.1969 को नोटिस प्राप्त किया, जिसका उसी दिन रकम की ईप्सा करते हुए उत्तर दिया गया था और क्योंकि मरम्मत के लिए 250 रुपये की राशि प्रतिवर्ष व्यय की की गई और क्योंकि 25 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स अदा किया गया, वादी यह रकम प्रतिवादी को देने के लिए आबद्ध था, जो वसूली योग्य है। अतः प्रतिवादी ने वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

JUDGMENT WRITINGनिर्णय लेखन

Q.No.

/ प्र.क्र.

5

Question / प्रश्न

Marks

/ अंक

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Frame charge(s) on the basis of prosecution case mentioned hereunder and write a well reasoned judgment (from the stage of point (s) for determination) in the light of facts, evidence and argument advanced as mentioned hereunder keeping in mind the relevant provisions on the concerning law:-

30

Prosecution case :- About four months prior to the incident, a quarrel had taken place between the deceased Baburam and appellant 4-Dataram in relation to raising of a boundary wall. On 12.04.1983 at about 7.00 p.m. the deceased accompanied by Ramhet, had gone to meet Vidyaram (PW 8) to engage some labourers for cutting the crop in his field. While returning back from the house of Vidyaram, when the deceased reached near the chabutra of appellant 4-Dataram, he shouted to the remaining accused who were present there that the deceased was their enemy and he should not be allowed to go away and be killed. Appellant 6-Ramjilal assaulted the deceased with a lathi on his head. When the deceased fell down on the ground, all the appellants assaulted him. In spite of Ramhet intervening, the appellants did not stop in assaulting the deceased. When they found that the Baburam had died, the appellants dragged his body from the spot of assault to a place near the tiwaria of appellant 1-Bharosi and thereafter, they ran away. Bachchulal (PW 10), brother of the deceased lodged first information report. The incident was witnessed by Vidyaram (PW 8) and Kalicharan (PW 13). Doctor H.S. Sharma (PW 1) carried out the post-mortem examination of the dead body and after investigation Ramjilal, Bharosi and other 4 accused were chargesheeted in the competent court.

Defence of the accused :- On being charged with the offences under different section of IPC, the accused abjured the guilt and

claim to be trial.

Evidence for prosecution :- Out of the eyewitnesses, Ramhet died before he could be examined in the trial court. PW 8 Vidyaram has testified that he witnessed the whole incident. He has also stated in his evidence that PW 13 Kalicharan was also seeing the incident from a distance. He narrated about the incident to Bachchulal (PW 10), the brother of the deceased and also told about the same to Ram Kumar, Pappu (PW 11) and Bhagwati (PW 12) (sons of the deceased). He has spoken about the motive as to an earlier quarrel between the deceased and the accused persons with regard to construction of a boundary wall. He has also stated that at the time of the incident, there was slight darkness but the faces of the people could be seen in that light.

PW 13 Kalicharan also supported the prosecution case by saying that he saw the incident from the house of Kunji and that PW 8 Vidyaram and Ramhet also saw the incident. He has further stated that PWs 11 and 12 (son of the deceased) also came to the spot. Bachchulal (PW 10), brother of the deceased has stated that Vidyaram (PW 8) informed him that his brother was killed by the accused persons. The testimony of PW 11 and PW 12 supports the testimony of PW 8 and PW 10 that they also went to the spot.

Dr. H.S. Sharma (PW 1) who conducted the post-mortem found 10 injuries on the body of the deceased and opined that cause of death was head injury which might have been caused by a lathi. It is the testimony of PW 8 that Ramjilal (appellant 6) hit the deceased on his head. Weapons were also recovered at the disclosure of the accused and the accused were absconding after the incident.

Evidence for the Defence :- Nil.

Arguments of Prosecutor :- From the evidence placed on record the charge against accused are proved beyond

reasonable doubt.

Arguments of Defence Counsel :- The evidence of eyewitnesses Vidyaram (PW 8), and Kalicharan (PW 13), is not reliable being that of interested witnesses. There were material discrepancies in the statement of witnesses which seriously affected the prosecution case and the so called eyewitnesses could not identify the accused in the darkness and there was not any premeditation or common objective.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, संबंधित विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये एक सकारण निर्णय लिखिये—

अभियोजन प्रकरण :- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना से लगभग चार मास पहले मृत बाबूराम और अपीलार्थी 4—दाताराम के बीच एक चहार दीवारी उठाने के संबंध में कुछ झगड़ा हुआ था। 12.04.1983 की शाम लगभग 7.00 बजे मृत रामहेत को साथ लेकर विद्याराम (अ.सा.—8) के पास अपने खेत में फसल काटने के काम में कुछ श्रमिक लगाने के लिये गया था। विद्याराम के घर से लौटते समय, जब मृतक, अपीलार्थी 4 के चबूतरे के पास आया तो उसने वहां उपस्थित शेष अभियुक्तों से पुकार कर कहा कि मृतक उनका शत्रु है, उसे जाने न दिया जाए, उसे मार दो। अपीलार्थी 6—रामजीलाल ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया। जब वह भूमि पर गिर गया, सभी अपीलार्थियों ने उस पर प्रहार किए। रामहेत के हस्तक्षेप करने के बावजूद अपीलार्थियों ने प्रहार करना बंद नहीं किया। जब उन्हें पता लगा कि मृतक मर चुका है, अपीलार्थी मृतक का शव घटना स्थल से अपीलार्थी 1 भरोसी की तिवारिया के पास एक स्थान पर घसीट कर ले गए। तत्पश्चात् वे भाग गए। मृतक के भाई बच्चूलाल (अ.सा.—10) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना को विद्याराम (अ.सा.—8) और कालीचरण (अ.सा.—13) ने साक्ष्यित किया था। डॉ० एच.एस. शर्मा (अ.सा.—1) के द्वारा मृतक का पोस्ट मार्टम किया गया तथा अनुसंधान पश्चात् आरोपी रामजीलाल, भरोसी और अन्य 4 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

आरोपी की तरफ से बचाव :- भा.द.स. की विभिन्न धाराओं के अपराध से आरोपित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकारा।

अभियोजन की ओर से साक्ष्य :- प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण में से रामहेत की मृत्यु विचारण न्यायालय में उसकी परीक्षा किए जाने से पहले ही हो गई। विद्याराम (अ.सा.—8) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पूरी घटना साक्ष्यित की है। उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि कालीचरण (अ.सा.—13) भी घटना दूर से देख रहा था। उसने मृतक के भाई बच्चूलाल (अ.सा.—10) को घटना के बारे में

बतया था। उसने यही बात राम कुमार उर्फ पप्पू (अ.सा.-11) और भगवती (अ.सा.-12) (मृतकों के पुत्रों) को भी बताई थी। उसने चहार दीवारी के निर्माण के संबंध में अभियुक्तों और मृतक के बीच पहले हुए, झगड़े को इस घटना का हेतु होने के बारे में बताया है। उसने यह भी कहा है कि घटना के समय थोड़ा अंधेरा था किंतु उस प्रकाश में लोगों के चेहरे देखे जा सकते थे।

कालीचरण (अ.सा.-13) ने भी अभियोजन पक्षकथन का यह कहते हुए समर्थन किया है कि उसने घटना कुंजी के घर से देखी थी और विद्याराम (अ.सा.-8) तथा रामहेत ने भी घटना देखी थी। उसने आगे कहा है कि अ.सा.-11 और अ.सा.-12 (मृतक के पुत्र) भी घटना स्थल पर आ गए थे। मृतक के भाई बच्चूलाल (अ.सा.-10) ने कहा है कि विद्याराम (अ.सा.-8) ने उसे सूचित किया था कि उसके भाई की हत्या अभियुक्तों द्वारा कर दी गई है। अ.सा.-11 और अ.सा.-12 के परिसाक्ष्य, अ.सा.-8 तथा अ.सा.-10 के परिसाक्ष्य से समर्थन होता है कि वे भी घटना स्थल पर गए थे।

डॉ. एच.एस. शर्मा (अ.सा.-1) जिसने शव परीक्षण किया, मृतक के शरीर पर 10 क्षतियां पाईं और राय व्यक्त की, कि मृत्यु का कारण सिर की क्षति थी जो लाठी के द्वारा कारित की गई हो सकती थी। अ.सा.-8 का परिसाक्ष्य है कि रामजीलाल (अपीलार्थी-6) ने मृतक के सिर पर प्रहार किया था। अभियुक्तों के प्रकटीकरण पर आयुध भी बरामद किए गए और घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गए थे।

बचाव साक्ष्य :- निरंक।

अभियोजक का तर्क :- अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होते हैं।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :- चक्षुदर्शी साक्षी विद्याराम (अ.सा.-8) और कालीचरण (अ.सा.-13) दोनों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वे हितबद्ध साक्षी हैं। अभियोजन साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है, जो अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करते हैं और तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षीगण अंधेरे में आरोपीगण की शिनाख्त नहीं कर सकते थे तथा किसी पूर्व चिंतन अथवा सामान्य उद्देश्य का अभाव है।

ORDER WRITING

आदेश लेखन

ORDER WRITING (CIVIL)

Q.6

Write Order on the basis of facts given below :-

10

The application of the plaintiff under Order 39, rules 1 and 2 of the CPC was dismissed by the Trial Court. The plaintiff referred an appeal against the said order. However, after some arguments the

appeal was dismissed as withdrawn. The plaintiff thereafter applied to the Trial Court for review of the order of dismissal of the application.

The defendant took a preliminary objection that an appeal having been preferred and withdrawn, the plaintiff was not entitled to apply for review. Decide the said preliminary objection to the maintainability of the review referring the relevant case law.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :-

विचारण न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत निरस्त किया गया था। वादी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। परंतु कुछ तर्क हो जाने के पश्चात् वादी द्वारा अपील वापस लिये जाने के कारण निरस्त कर दी गई। वादी ने इसके पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये आवेदन पत्र के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने प्राथमिक आपत्ति ली कि वादी ने इसी आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी जो उसके द्वारा वापस ले ली गई। इसलिये वादी पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। इस प्राथमिक आपत्ति की ग्राह्यता के बिंदु को स्थापित विधि सिद्धांतों का उल्लेख करते हुये निराकरण करे।

-----XX-----